01/03/21 पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं हाजिर नहीं। पैरोकार सरकार की ओर से प्रतिनिधि हाजिर। वादी को आवाज लगवाई गई, किन्तु वादी की ओर से कोई प्रतिनिधि हाजिर नहीं। ना ही वादी स्वयं हाजिर। वादी को पुनः न्यायालय समय पर्याप्त एक रोज रोक कर आवाज लगवाई गई, किन्तु कोई हाजिर नहीं ऐसी स्थिति में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 38.39 R&A 1955 का अहम पैरवी। अहम हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्दिष्ट इन्डेक्स की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
राशमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.30 17:34:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner